उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 149/ 2023

शेर सिंह और अन्य ..... आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य .....प्रतिवादी

उपस्थित:

श्री डी. सी. एस. रावत, आवेदकों के अधिवक्ता।

श्री वी. एस. रावत, राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

माननीय रविन्द्र मैठाणी, न्यायाधीश (मौखिक)

आवेदक एफ. आई. आर. मामला अपराध संख्या 113 सन 2023 में भा.दं.सं. की धारा 304 बी, पुलिस स्टेशन काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर में अग्रिम जमानत चाहते हैं।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, मृतक वंदना की शादी 08.03.2018 को सह-आरोपी भूपेंद्र यादव से हुई थी, जो आवेदक सं. 1 और 2 का बेटा है और आवेदक सं 3 का भाई है । प्राथमिकी में दर्ज है कि शादी के बाद दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया जाता था। मृतक अवसाद में चला गया था । उसका इलाज नहीं किया गया। अंततः 25.02.2023 को उसकी हत्या कर दी गई।

4. आवेदकों का मामला यह है कि, वास्तव में, मृतक अस्वस्थ था; अपनी शादी से पहले उसका मनोरोग उपचार चल रहा था; वह अवसाद में थी; उन्होंने स्वयं अपने जीवनकाल में सूचक, अपनी मां के विरुद्ध क्रूरता की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, इतना ही नहीं यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थियों के मामले में महिला हेल्पलाइन के समक्ष कार्यवाही की गयी थी, जिसमें सूचक कभी उपस्थित नहीं हुई थी। इसके बाद महिला हेल्प लाइन की कार्यवाही में मृतक की अस्वस्थता का तथ्य दर्ज किया गया।

5. आवेदकों के विद्वान वकील ने कहा कि राज्य ने अपने जवाबी शपथ पत्र में इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि मृतक ने अपनी मां के विरुद्ध शिकायत की थी और यह भी कि महिला हेल्प लाइन की कार्यवाही में मृतक की मां, जो सूचना देने वाली हैं, उपस्थित नहीं हुई थीं। यह भी तर्क दिया जाता है कि वास्तव में मृतक अस्वस्थ था।

4. विद्वान राज्य वकील का कहना है कि माना जाता है कि, मृतक ने एक बार अपनी मां के खिलाफ शिकायत दी थी और परामर्श कार्यवाही में, यह कहा गया है कि सूचना देने वाला उपस्थित नहीं हुआ और मृतक अस्वस्थ था।

5. आवेदकों के विद्वान वकील ने उस शिकायत का हवाला दिया जो मृतक द्वारा मुखबिर, उसकी मां और महिला हेल्पलाइन की कार्यवाही के खिलाफ की गई थी।

6. सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि यह अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

7. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदकों को जाँच अधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रत्येक को समान राशि में दो प्रतिभूतियों के साथ एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी जाएगी। इसके अलावा, आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना होगा:

   (i) आवेदक जाँच में सहयोग करेंगे।

   (ii) आवेदक किसी भी तरह से किसी भी गवाह/पीड़ित से संपर्क नहीं करेंगे।

   (iii) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

   (iv) आवेदकों को अपना पासपोर्ट आई. ओ. के पास जमा करेंगे। पासपोर्ट मात्र संबंधित अदालत के आदेश से ही वापस किया जा सकता है। यदि आवेदकों के पास पासपोर्ट नहीं है, तो वे आई. ओ. को इस संबंध में एक वचन पत्र देंगे।

   (v) आवेदक उपरोक्त (i), (ii) और (iii) पर एक वचन पत्र भी देंगे।

(रवींद्र मैठाणी, जे.)

19.09.2023